

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)  
क्रमांक प.8(क)(वि.स.)(01)/डीएलबी/2021/5522 दिनांक: 18-4-2021

आदेश

श्री शुभम् खरे अधिवक्ता, (रजि.सं0 आर./4828/2019) पुत्र श्री हरीश कुमार खरे निवासी जोधपुर को नगर निगम जोधपुर-उत्तर एवं दक्षिण के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नियमानुसार नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण) से देय होगा।

(हृवेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(क)(वि.स.)(01)/डीएलबी/2021/5523-5533 दिनांक: 18-4-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
5. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)।
6. श्री शुभम् खरे अधिवक्ता, नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)।
7. प्रोग्रामर आई.टी. सैल, निदेशालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी